23/5/18. पत्रावली न्याय आपके द्वार शिविर सिंघाना में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी व तहसीलदार डीडवाना उपस्थित। प्रार्थी की बिगत हुक्म नारायणराम जाति नाई ग्राम 136 L.R. Act के तहत जरिये [illegible]	राकेश (मनोज सिंघार)

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसे बाह्यकाल में घरेलु नाम बाबू लाल के नाम से जाना जाता था प्रार्थी के पिता श्री नारायण राम के स्वर्गवास के पश्चात नामांतकरण भरते समय उसका वास्तविक नाम श्रीकिशन S/O नारायणराम दर्ज नहीं किया जाकर घरेलु नाम बाबुलाल दर्ज कर दिया गया जबकि अन्य सभी राजकीय दस्तावेजों में उसका नाम श्रीकिशन S/O नारायणराम दर्ज है।

सिंघाना ग्राम सेवा केन्द्र पर मजमे आम में इस तथ्य की जांच की गई तथा सरपंच ग्राम पंचायत सिंघाना से भी तस्दीक की गई। प्रार्थी के दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। शुद्ध किया जाना उचित पाया गया।

प्रार्थी का नाम अब सिंघाना के ख.न. 135, 136, 137 में बाबूलाल के स्थान पर श्रीकिशन पुत्र नारायणराम किये जाने के आदेश दिये जाते है निर्णय की प्रति तहसीलदार डीडवाना को पालनार्थ भेजी जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

23/5/18
सहायक कलक्टर
डीडवाना